E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
संचिका सं0–03/भू0अ0नि0 (7) अपील–01/2024..........................

आदेश

निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा पारित आदेश सं0–9116 दिनांक–05.12.2023 के विरूद्ध अपीलार्थी मो0 उमर फारूक, (Emp. ID No.- ASO00003), संविदा समाप्त पूर्व विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, बेगूसराय द्वारा ''बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम–8(4)'' में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील दायर किया गया है।

निर्धारित तिथि एवं समय पर अपील की सुनवाई की गयी।

उभय पक्ष उपस्थित।

बन्दोबस्त कार्यालय बेगूसराय के डंडारी, शिविर–01 में पदस्थापित विशेष सर्वेक्षण अमीनों (कुल 08) द्वारा अपीलार्थी शिविर प्रभारी, मो0 उमर फारूक, (Emp. ID No.- ASO00003), संविदा समाप्त पूर्व विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के विरूद्ध परिवाद पत्र निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को समर्पित किया गया है।

उक्त परिवाद के जाँच हेतु दो सदस्यीय टीम का गठन सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के नेतृत्व में दिनांक–18.09.2023 के पत्र द्वारा किया गया है। जाँच टीम द्वारा परिवाद में वर्णित आरोपों का स्थलीय जाँच कर अपना प्रतिवेदन दिनांक–19.09.2023 को समर्पित किया गया है।

अपीलार्थी पर परिवाद में कई आरोप लगाये गये है, जिसमें मुख्यतः बिना कारण पृच्छा के अधीनस्थ कर्मियों का मानदेय रोका जाना, शिविर का कार्य शेष रहने के बावजूद परिवादियों का दूसरे शिविर में स्थानांतरण का अनुशंसा करना तथा महिला कर्मियों के साथ अमर्यादित एवं अनुचित आचरण किया जाना एवं संप्रादायिक आधार पर हिन्दु कर्मियों को वेतन रोकना तथा मुस्लिम कर्मियों को वेतन देना शामिल है। साथ ही कार्यालय को बिना वरीय पदाधिकारियों के अनुमोदन का मनमाने ढ़ंग से चलाने का आरोप है।

अपीलार्थी का कहना है कि मेरे उपर सभी आरोप गलत एवं बेबूनियाद है। किसी भी अमीन की टैंगिग बन्दोबस्त पदाधिकारी के द्वारा किया जाता है। इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं रहती है। मुझपर संप्रदाय के आधार पर पक्षपात करने का आरोप एवं रिश्वत मांगने का आरोप गलत है। अपीलार्थी द्वारा आगे बताया गया कि काम में शिथिलता बरतने एवं अनावश्यक विलंब के कारण मैंने कई विशेष सर्वेक्षण अमीनों से स्पष्टीकरण की मांग की है, जिसके कारण इन लोगों द्वारा मुझ पर आरोप लगाया गया है।

अभिलेख के परिशीलन, निदेशक के मंतव्य एवं जाँच टीम के प्रतिवेदन कें अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मानसी जायसवाल एवं रंजू कुमारी (विशेष सर्वेक्षण अमीन) को आवंटित मौजों में सर्वेक्षण कार्य शेष रहने के बावजूद अपीलार्थी द्वारा उनकी स्थानांतरण की अनुशंसा की गयी है। संप्रादायिक आधार पर हिन्दु कर्मियों को वेतन रोकना तथा मुस्लिम कर्मियों को वेतन देने की बात को भी जाँच टीम द्वारा सत्य पाया गया है। मानसी जायसवाल, विशेष सर्वेक्षण अमीन को कार्य स्थल पर परेशान करने, कार्य अवधि में पीछा करने की घटना को भी जाँच टीम द्वारा सत्य पाया गया है। Whatsapp Chat में मो0 उमर फारूक द्वारा कार्य क्षेत्र से हटकर आपत्तिजनक मैसेज किया गया है। इसके अतिरिक्त मानसी जायसवाल द्वारा फोन कॉल का ऑडियो रिकॉर्डिंग प्रस्तुत किया गया। जिसमें कार्य क्षेत्र से हटकर आपत्तिजनक बातें कही गयी है। साक्ष्य के रूप में Whatsapp Chat का स्क्रीन शॉट अभिलेख के साथ संलग्न है। अपीलार्थी ने अपने उक्त कृत को जाँच टीम के समक्ष स्वीकार की है।

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अपीलार्थी मो0 उमर फारूक द्वारा मनमाने ढंग से बिना वरीय पदाधिकारियों के अनुमोदन के अनुशासनहीनता पूर्वक कार्यालय का संचालन किया जाता था। Whatsapp Chat एवं कॉल रिकॉर्डिंग में महिला कर्मियों से आपत्तिजनक मैसेज एवं बात करना महिला कर्मियों के प्रति श्री फारूख के गलत आचरण को दर्शाता है। मो0 उमर फारूक उक्त कृत कार्य स्थल पर महिला कर्मियों का उत्पीड़न है। मो0 उमर फारूक जैसे कर्मी को सेवा में बनाये रखने से इसका प्रतिकुल प्रभाव अन्य कर्मियों पर पड़ सकता है। इसलिए इन्हें सेवा में बनाये रखना उचित नहीं है।

अतः उक्त विवेचना के आलोक में मो0 उमर फारूक, (Emp. ID No.- ASO00003), संविदा समाप्त पूर्व विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, बेगूसराय का अपील अस्वीकृत किया जाता है।

ह0/–
अपर मुख्य सचिव–सह–
अपीलीय प्राधिकार

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

E-Mail

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (7) अपील–01/2024...12731...**पटना, दिनांक :**–12/07/2024

प्रतिलिपिः– मो0 उमर फारूक, (Emp. ID No.- ASO00003), संविदा समाप्त पूर्व विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, बेगूसराय, Email ID- faruque.dlrs@gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित।

12/7/2024

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (7) अपील–01/2024...12731...**पटना, दिनांक :**–12/07/2024

प्रतिलिपिः– बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

12/7

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (7) अपील–01/2024...12731...**पटना, दिनांक :**–12/07/2024

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12/7

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (7) अपील–01/2024...12731...**पटना, दिनांक :**–12/07/2024

प्रतिलिपिः– निदेशक कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

12/7

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (7) अपील–01/2024 12731 **पटना, दिनांक :–** 12/07/2024

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

12/7/2024

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (7) अपील–01/2024 12731 **पटना, दिनांक :–** 12/07/2024

प्रतिलिपिः– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12/7/2024

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप